2. At least 50 per cent of the lendings will be provided to small farmers defined under the project.

3. Priority will be accorded for programmes in the Eastern and North-Eastern regions of the country.

4. Training programme for senior and middle level personnel of land development banks and commercial banks and for the junior level staff of the land development banks.

5. Strengthening of the viability of the rural credit system, establishment of uniform standards for lending operations and insistence on adherence to financial and technical standards by lending banks.

(c) The programme would be of direct assistance to achieve an increase in agricultural production. The value of incremental output resulting from this programme is expected to be around Rs. 330 crores per annum at 1976 farm-gate prices.

(d) The project envisages the completion of some investments initiated during the first Agricultural Refinance and Development Corporation Credit Project and other International Development Association Assisted Agricultural Credit Projects and initiation of some others which would be completed during the project period and may even extend beyond the period. Estimates of project impact on production should, therefore, be taken as broad indicators only. However, investments undertaken in minor irrigation and diversified sectors have small gestation periods.

Replanting Subsidy to Rubber Growers

2328. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) the present rate of replanting subsidy being given to the rubber growers and the total amount distributed in this regard during the year 1976-77;

(b) whether any decision has been taken to stop the replanting subsidy to the rubber growers; and

(c) if so, the details thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): (a) Replanting subsidy is being paid by the Rubber Board to rubber growers depending on the size of estate/holding, at the following rates:—

Upto 2 hectares Rs. 7,500 per hectare
Above 2 and upto 20 hectares Rs. 5,000 per hectare.

Above 20 hectares Rs. 3,000 per hectare.

The total amount of subsidy paid to the growers by the Board during 1976-77 was Rs. 1,00,08,658.

(b) Government have not taken any such decision.

(c) Does not arise.

लिमिटेड कम्पनियों में सार्वजनिक जमा राशियां

2329. श्री मीठालाल पटेल : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लिमिटेड कम्पनियों में कुल कितनी सार्वजनिक जमा राशियां हैं और जमा करने वालों की संख्या क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे उपाय करने का है जिसके अन्तर्गत जमा करने वालों की राशि सुरक्षित रहे और वे जरूरत पड़ने पर उसे निकाल सकें और कम्पनियों का भी काम सुचारु रूप से चलता रहे ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि गैर-बैंकिंग कम्पनियों के पास रखी जमा राशियो के सर्वेक्षण पर आधारित ताजा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, गैर-बैंकिंग नियमित क्षेत्र की कुल जमा राशियां और जमा खातों की संख्या मार्च, 1974 के अन्त मे क्रमश: 1026.6 करोड़ रुपये और 27.85 लाख थी। रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवरणी में कम्पनियो के लिये यह जरूरी नही रखा गया है कि वे जमा खातो की सख्या के अतिरिक्त जमा-कर्ताओं की सख्या भी बताये।

(ख) रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय और विविध गैर-बैंकिंग कम्पनियो के लिये जारी किये गये निदेश तथा कम्पनी कार्य विभाग द्वारा गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कम्पनियो के लिये जारी किये गये नियम इन कम्पनियो द्वारा स्वीकार्य जमा राशियो की मात्रा को निश्चित सीमा तक नियंत्रित करते है और उनसे यह भी अपेक्षा करते है कि वे अपनी वित्तीय स्थिति और प्रबन्ध से सम्बन्धित निर्धारित ब्यौरो, जमाएं मागने के लिये दिये गये विज्ञापनो और जमा के आवेदन पत्रो मे दिखायें। जमा-कर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही ये उपाय किये गये है। सरकार ने गैर-बैंकिंग कम्पनियो से सम्बन्धित जेम्स राज अध्ययन दल की सिफारिशो को स्वीकार कर लिया है कि (i) गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की कुछ अन्य श्रेणियों को अपनी जमा राशियो की मात्रा को धीरे-धीरे अपने स्वामित्व की कुल निधि के 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत तक लाना चाहिए, (ii) गैर-वित्तीय कम्पनियो को एक वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाली जमा देयताओं के कम से कम 10 प्रतिशत भाग को नकदी-जैसी-परिसम्पत्तियों (हुस्से रोकड़ छोड़कर) के रूप में बनाये रखना चाहिए, और (iii) गैर-बैंकिंग वित्तीय और गैर-वित्तीय कम्पनियों को जमाएं मांगने से सम्बन्धित विज्ञापनों में कुछ और अधिक ब्यौरे देने चाहिए, जैसे (क) निर्धारित सीमा विषयक प्रतिबंधो के अन्तर्गत जमाओं की राशि जो वे स्वीकार कर सकते हैं, (ख) उनके द्वारा किसी हाल ही की तिथि पर वास्तव में प्राप्त जमाओं की राशि (ग) अतिदेय जमाओं की राशि (ऐसी जमाओ को छोड़कर जिनका कोई दावेदार नही) और (घ) उनके द्वारा इस आशय की घोषणा की यथोस्थिति कम्पनी कार्य विभाग के नियमों अथवा रिजर्व बैंक के निदेशों, का पालन किया गया है, और यह कि नियमों अथवा निदेशो के अनुपालन से यह अर्थ नही है कि जमाओ की अदायगी के लिए केन्द्रीय सरकार या रिजर्व बैंक प्रतिभूति देते है और यह कि उनके द्वारा स्वीकृत जमाए कम्पनियो की असुरक्षित देयताएं है। जबकि इनमे से कुछ सिफारिशो को लागू कर दिया गया है, शेष कार्यान्वित होने की प्रक्रिया मे है।

Changes in Pattern of Operations of Air India

2330. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to introduce major changes in Air India's pattern of operations; and

(b) if so, the main features thereof?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) and (b). There is no proposal to introduce any major changes in Air India's pattern of operations for the present. However, when the two B-747 aircraft, which are on order, join the fleet in December 1977 and May 1978, Air India propose introducing additional flights to Europe and Gulf countries and also two B-747 services a week on the India-Japan route.